<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3109

31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन

3109. श्री प्रह्लाद जोशीः
श्री हरि मांझीः
श्रीमती संतोष अहलावतः
श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री राजेश कुमार दिवाकरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2017 की तुलना में नवम्बर 2018 के माह में भारत के अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दस ट्रिलियन के निवेश के साथ 2030-31 तक अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन को बढ़ाकर 300 एमटी करने का लक्ष्य रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योग परिषद द्वारा किए गए जांच परीक्षणों में 26 टीएमटी बार ब्रांड अपने गुणवत्ता मानकों में विफल रहे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार टीएमटी बार के वर्तमान स्तर में कोई परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में विभिन्न इस्पात उत्पादों हेतु भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन को अनिवार्य करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी हाँ। नवंबर, 2017 की तुलना में नवंबर, 2018 में भारत का क्रूड इस्पात उत्पादन 3.8% तक बढ़ा है। ब्यौरा नीचे प्रस्तुत है:

	नवंबर, 2017	**नवंबर, 2018**	**% बदलाव**
क्रूड इस्पात उत्पादन (हजार टन में)	8604	8927	3.8

स्रोत : जेपीसी

(ख): जी हाँ। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में 2030-31 तक 300 एमटी क्रूड इस्पात क्षमता की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 वर्ष 2030 तक इस्पात निर्माण क्षमता की 300 एमटी प्राप्त करने की अपेक्षा करती है। इसका अर्थ वर्ष 2030-31 तक इस्पात क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश और 1.1 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की नियुक्ति है।
- यह नीति इस्पात के उपभोग को बढ़ाने की अपेक्षा करती है और उसके प्रमुख दायरे हैं अवसंरचना निर्माण, ऑटोमोबाइल्स और आवास क्षेत्र।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में वर्ष 2030-31 तक प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग लगभग 61 किलोग्राम के स्तर से 160 किलोग्राम स्तर तक बढ़ाने की अपेक्षा की गई है।
- इस नीति में यह भी निर्धारित किया गया है कि समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए छोटे इस्पात उत्पादकों द्वारा ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियाँ अपनाने और ऊर्जा ग्रहणता कम करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ग): टीएमटी बार्स आईएस: 1786:2008 में शामिल हैं, जिन पर इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित करवाया जा चुका है। इनकी निगरानी और जाँच भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा की जाती है। जिन पार्टियों द्वारा मानक सुनिश्चित नहीं किए जा रहे हैं, उनके बीआईएस लाइसेंस कानूनी प्रक्रियानुसार निरस्त किए जाते हैं। इस्पात मंत्रालय की कोई परिषद नहीं है। एक निजी परिषद ने पब्लिक डॉमेन पर कहा कि कुछ टीएमटी बार के नमूने बीआईएस मानक से मेल नहीं खाते हैं। बीआईएस इस दावे का परीक्षण कर रही है।

(घ): क्यूसीओ में शामिल मानक बीआईएस द्वारा अधिक श्रेणियों को सम्मलित करने के लिए संशोधित किए जाते हैं। उत्पादों के उपयोग और विनिर्माण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय प्रगतियों को लागू करने के लिए बीआईएस की संबंधित तकनीकी समिति के निर्णयानुसार जब भी जैसी भी आवश्यकता है, मानकों का संशोधन किए जाते हैं। जो ठोस सुदृढ़ीकरण के लिए उच्च शक्ति के विकृत इस्पात बार (टीएमटी बार सहित) में प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके लिए भारतीय मानक आईएस: 1786:2008 है। 'उच्च शक्ति के विकृत इस्पात बार और ठोस सुदृढ़ीकरण के लिए तार - विशेष विवरण (चौथा संशोधन)'।

(ङ): भारत सरकार ने एक अद्यतन और संशोधित इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण नामतः इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2018 दिनांक 13 अगस्त 2018 को एस.ओ. 3966(ई) द्वारा जारी किया है, जिसमें 53 उत्पाद (47 कार्बन/अलॉय इस्पात तथा 6 स्टेनलेस इस्पात उत्पाद) शामिल हैं। सरकार बीआईएस मानकों के और उनके उपयोग, खपत, घरेलू उत्पादन और आयात आंकड़ों का गहन अध्ययन करने के बाद लगातार बीआईएस मानक जोड़ती रहती है ताकि इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले क्यूसीओ में शामिल किए जा सकें।

****